मध्य प्रदे1 1 1

म1जिक न्य1य विभ1ग 1

मंत्र1लय, भ`प1ल

क्र:154 /26–2/2013/ भोप1ल, दि1 ंक 25.04.2013 1

प्रति, 1

. 1 मस्त 1 ंभ1ग युक्त, मध्य प्रदे1 1

2. 1 मस्त कलेक्टर, मध्य प्रदे 1

3. 1 मस्त अ1युक्त 1

1 गर 1िगम, मध्य प्रदे1 1

4. 1 मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री

1 जिल1 पंच1यत, मध्य प्रदे1 1

5. 1 मस्त 1 ंयुक्त 1 ंच1लक / उप 1 ंच1लक 1

1 म1जिक न्य1य, मध्य प्रदे1 1

6. 1 मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री

1 ज1पद पंच1यत, मध्य प्रदे1 1

7. 1 मस्त मुख्य 1गरप1लिक1 अधिक1री 1

1 गर प1लिक1/1गर परिषद, मध्य प्रदे1 1

1

विषयः **इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 (IGNOAPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं1प्रद1य कर 1**
इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय विधव1 पें1 योज1 (IGNWPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं प्रद1य कर 1
इंदिर ग1ंधी र1ष्ट्रीय ि:1क्त पें1 योज1 (IGNDPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं1प्रद1य के11 ंबंध में1

1

ंदर्भ:– लोक 1`व1 प्रबंध1 विभ1ग की अधि1ूच1 क्रम1ंक 1एफ 1308–05–01–2010 1
दि1 ंक 24.09.201 में11 मिल 1`व1 क्रम1ंक 7.2, 7.3 एवं 7.4 1

1

–0– 1

1

1 भ1रत 1रक1र, ग्र1मीण विक1 मंत्र1लय, ग्र1मीण विक1 विभ1ग द्व1र1 र1ष्ट्रीय 1 म1जिक 1ह1यत1 क1र्यक्रम (NSAP) के1अंतर्गत गरीबी रेख1 1` 1ीचे जीव1–य1प1 1 कर1 1व1ले1परिव1रों1को1अ1र्थिक 1ह1यत1 प्रद1य कर1 1के1उद्दे1य 1` इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1, विधव1 एवं ि:1क्त पें1 योज1 1 ंच1लित की ज1 रही है । योज1 ओं क1 1 क्रिय1न्वय1 एवं 1 ंच1ल1 म0प्र0 1 , 1 म1जिक न्य1य विभ1ग द्व1र1 किय1 ज1 रह1 है। 1

1 भ1रत 1रक1र, ग्र1मीण विक1 मंत्र1लय, ग्र1मीण विक1 विभ1ग के1क1र्य1लयी ज्ञ1प1 के11 म1 ंव्यक क्रम1ंक/जे–1 1 015/1/2012/ए1ए1एपी दि1 ंक 8 1 वम्बर 1 2012 के1द्व1र1 र1ष्ट्रीय 1 म1जिक 1ह1यत1 क1र्यक्रम (NSAP) के1अंतर्गत मौजूद1 पें1 1 योज1 ओं1में1अ1यु 1ीम1 एवं1पें1 र1ि के म1पदण्डों1में1ि1म्1 1ु1र 1 ं1ोध1 किय1 गय1 है :– 1

1

. इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 योज1 (IGNOPS) 1

1

.1 प1त्रत1 के म1पदण्ड 1

- अ1वेदक (पुरूष अथव1 स्त्री) की अ1यु 60 वर्ष अथव1 इ1 1` अधिक की हो1। 1
- अ1वेदक को1 भ1रत 1रक1र द्व1र1 ि1र्ध1रित म1पदण्ड के अ1ु1 1र गरीबी रेख1 1 1` 1ीचे1जीव1 ब1 1र कर1 1व1ले1परिव1र 1 11 ंबंधित हो11 च1हिए।

1

.2 पें1 की र1ि 1

- 60 वर्ष 1`164 वर्ष तक अ1यु1के1हितग्र1हियों11को1 प्रतिम1ह रु. 200 (केन्द्र1 11 ) की दर 1`1इंदिर ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 प्रद1य की ज1ये। 1

- 65 वर्ष 1` 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों1के` प्रतिमाह रु. 275 की दर 1`1 पें1 प्रदाय की जाये,1 जि1 में11रु. 1200 1केन्द्रां1 तथा1 रु. 175 राज्यां11 म्मिलित होगा1। 1
- 80 वर्ष अथवा इ1 `1अधिक आयु1के1 हितग्राहियों11 के`1 प्रतिमाह रु. 500 (केन्द्रां11) की दर 1` इंदिरा1 गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था1 पें1 प्रदाय की जाये। 1

1

.3 आवश्यक दस्तावेज 1

आयु1के1लिए ि1म्1लिखित में1 `1कोई1एक

- स्कूल का1 प्रमाणपत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1ूची
- स्वयं का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा1 1त्यापित आयु1के11बांध1 में 1पथ1 पत्र

1

.4 आवेदक के1प पोर्ट11 ईज के13 फोटोग्राफ 1

1

.5 आवेदन पत्र 1

- इंदिरा1 गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था1 पें1 योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन 1 का1 प्रारुप परिशि ष्ट–1 1

1

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा1 पें1 योजना (IGNWPS)

1

2.1 पात्रता1 के मापदण्ड 1

- आवेदिका1 की आयु 40 वर्ष 1`179 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को1 भारत 1रकार द्वारा1 ि1र्धारित मापदण्ड के अ1ु1ार गरीबी रेखा 1 `1िचे1जीव1 ब1र करने1वाले1परिवार का1 1दस्य होना चाहिए।

2.2 पें1 की राशि 1

- विधवा महिला हितग्राही को1 प्रतिमाह रु. 300 की दर 1` पें1 केन्द्रां1 1 मद 1`1प्रदाय की जावे। 1

1

1 2.3 आवश्यक दस्तावेज 1

आयु1के1लिए ि1म्1लिखित में1 `1कोई1एक

- स्कूल का1 प्रमाणपत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1ूची
- स्वयं का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा1 1त्यापित आयु1के11बांध1 में 1पथ1 पत्र

1

2.4 आवेदिका1 के1प पोर्ट11 ईज के13 फोटोग्राफ 1

1

1 2.5 विधवा1 के1लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- पति की मृत्यु1का1 प्रमाण1 पत्र

1 **2.6 आवेदन पत्र** 1

- इंदिर गंधी रष्ट्रीय विधव पें1 योज1 प्रप्त कर1 1के1लिए अवेदन 1 का1 प्रारुप परिशिष्ट–1 1

3. इंदिर1 गांधी राष्ट्रीय ि:1क्त पें1 योजन (IGNDPS) 1

3.1 पात्रता1 के मापदण्ड 1

- आवेदक की आयु 18 वर्ष 1`179 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को1 भारत 1रकार द्वार1 िर्धारित मापदण्ड के अ1ु1र गरीबी रेखा 1 ` ीचे1जीव1 ब1र कर1 1वाले1परिवार 1`11ंबंधित हो1 चहिए।
- ि:1क्त व्यक्ति (1म1 अव1र, अधिकरों1क ंरक्षण और पूर्ण भागीदरी) 1 अधि1ियम 1995 तथ1 द1`1 ल ट्रस्ट फर वेलफेयर ऑफ प1`न्1 विथ आर्टिज्म, 1`रेब्रल 1पाल1ी, 1मेंटल 1रिटारडे1 1एण्ड 1मल्टीपल 1डि1`बिलिटी 1 एक्ट, 1999 के1अ1ु1र 80 प्रति1त ि:1क्तत एवं11`ीबीयर डि1`बिलिटी 1 हो1 चाहिए 1

3.2 पें1 की राशि 1

- ि:1क्त हितग्राही को1प्रतिमाह रु. 300 की दर 1`1पें1 केन्द्र1 मद 1` 1 प्रदाय की जावे1

3.3 आवश्यक दस्तावेज 1

आयु1के1लिए ि म्1लिखित में1 `1कोई एक 1

- स्कूल का1 प्रमाणपत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदत 1ूची
- स्वंय का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित1क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में1` कोई दस्तवेज उपलब्ध 1हीं हो1 पर 1`टरी य प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वार1 1त्यापित आयु1के11ंबंध में 1पथ1 पत्र

3.4 आवेदक के1प1 पोर्ट11 ईज 3 फोटोग्राफ

3.5 ि:1क्तता1 पें1 के1लिए अतिरिक्त दस्तावेज 1

- चिकित1क द्वार1 जारी ि:1क्तता1 का1 प्रमाणपत्र 1

3.6 आवेदन पत्र 1

- इंदिर1 गांधी राष्ट्रीय ि:1क्त पें1 योजना1 प्राप्त कर1 1के1लिए अवेद1 1 का1 प्रारुप परिशिष्ट–1 1

4. स्वीकृति हेतु1प्राधिकृत अधिकारी 1

1

क्षेत्र 1	अधिकारी 1	मयावधि 1
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण1 1क्षेत्र 1के लिए 1	मुख्य कार्यपाल1 अधिकारी, 1 जा1पद पंचायत 1	60 कार्य दिव1 1
गरीय 1क्षेत्र 1के लिए 1	आयुक्त, 1गर िगम 1 मुख्य 1 गरपालिका1 1अधिकारी, गर पालिका1/1गर परिषद 1	60 कार्य दिव1 1

5. अपीलीय अधिकारी 1

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी 1	मयावधि	द्वितीय अपीलीय 1 अधिकारी 1	मयावधि
(1) 1	(2) 1	(3) 1	(4) 1	(5) 1
ग्रामीण1 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 मुख्य 1 कार्यपाल1 अधिकारी, 1ज1पद पंचायत 1	अ1ुविभागीय अधिकारी 1 (राजस्व) 1	30 1 कार्य दिव1 1	कलेक्टर	30 1 कार्य दिव1 1
गरीय 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 1 आयुक्त, 1 गर ि गम 1 1 मुख्य 1 गर पालिक1 अधिकारी, गर 1 पालिक1/ गर परिषद 1	1 1 कलेक्टर 1 1 अ1ुविभागीय 1 अधिकारी 1 (राजस्व) 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1	1 1 ंभागायुक्त 1 1 कलेक्टर 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1

6. पें1 स्वीकृत कर1े1की प्रक्रिय1

6.1 ग्रामीण1 क्षेत्र

6.1. अ वेदक द्व र इ1 1ेवा के1 लिए अ वेद1 पद भिहित अधिक री (मुख्य क र्यप ल1 अधिक री, ज1 पद पंचायत) को11 प्रस्तुत किय जावेग1। 1

6. .2 अ वेद पर ग्र म पंच यत 1े अ व1यक प्रतिवेद प्र प्त किय जायेग1। 1

6. .3 अ वेदक द्व र प्रचलित प्रक्रिय अ1ु1 र यदि अ वेद1 पंच यत चिव के1 मक्ष1 ग्र म पंच यत में प्रस्तुत किये ज ते हैं1 तो1 उक्त अ वेद1 क1 परीक्षण1 कर आवेद1 स्वीकृति हेतु1 ंबंधित पद1भिहित अधिक री (मुख्य क र्यप ल1 अधिक री, ज1 पद पंच यत) को11 भेज ज वेग । इ1 स्थिति में11 मय–1ीम पद भिहित अधिक री के क र्यालय में1आवेद1 पत्र प्र प्त हो11 1की दि1 ंक 1े1प्रारंभ1 हो1गी। 1

6.1.4 1 1 प्रतिवेद 1प्राप्त 1हो11े 1पर 1प्रकरण1 1स्वीकृत/अस्वीकृत 1किय1 ज येग । स्वीकृति की द1 में1 पें1 र ि क भुगत1 अ वेद1 दि1 ंक 1े 1 किय ज येग और अस्वीकृति की द1 में1 क रण हित स्वस्पष्ट अ दे1 विहित प्र रूप (1 ंलग) में प रित किय जायेग । यह 1 ंपूर्ण1 कार्यवाही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्ण1 होगी।

6.1.5 1 1 पें1 क अगले1 म ह 1े1भुगत1 पें1 की ि यमित प्रक्रिय 1े1 ह ेग1। 1

1

1

6.2 नगरीय क्षेत्र

6.2. आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।

6.2.2 आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

6.2.3 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।

6.2.4 पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन-पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी और राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।

6.2.5 पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

7. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

8. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम 2010 के नियम-6 में निर्धारित पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजीयों में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट-3)

9. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस द्वारा अलर्ट किया जा सके।

10. पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी करने के पूर्व हितग्राही के निवास के निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में बचत खाता खुलवाया जाये तथा स्वीकृति आदेश में बैंक/पोस्ट आफिस का नाम एवं उसका खाता क्रमांक अंकित कर जारी किया जाये। यह कार्यवाही पदाभिहित अधिकारी को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में दी गई 60 दिवस की तय समय-सीमा के भीतर ही करना होगी। नवीन स्वीकृति आदेश के पश्चात् हितग्राही के खाते में प्रथम किश्त के जारी होने पर ही पेंशन स्वीकृति आदेश विधिमान्य होगा।

11. यह आदेश दिनांक 01.04.2013 से प्रभावशील होगा।

(व्ही0के0 बाथम)
सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग

1

पृ.क्रं.1 क्रं.1 54 /26–2/2013/ भोपा1ल, दि1ांक 25.04.2013

प्रतिलिपि :– 1

.1 मुख्यमंत्री के1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपा1ल

2.1 मुख्य 1 चिव के 1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपा1ल

3.1 अपर मुख्य 1 चिव, म0प्र0 1 , 1 मा1जिक न्या1य विभा1ग म0प्र0 भोपा1ल 1

4.1 1बंधित विभा1गों1के अपर मुख्य 1 चिव/प्रमुख1 1 चिव/1 चिव, मध्य प्रदे1 , भोपा1ल 1

5.1 आ1युक्त, 1 मा1जिक न्या1य, म0प्र0 भोपा1ल

6.1 आ1युक्त, 1 गरीय प्र1 एवं1विका1 विभा1ग म0प्र0 भोपा1ल

7.1 आ1युक्त, पंचा1यतीरा1ज 1 चा1ल1 लय, म0प्र0 भोपा1ल

1

1

(हस्ताक्षर) 25/4/13

उप सचिव

म0प्र0 शासन

सामाजिक न्याय विभाग

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1